न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, गोण्डा।

परिवाद संख्या–42/2025

CNR No.-UPGD010022982025

श्रीराम बनाम दुलारमती

दिनांक–20.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी पूर्व नियत तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहा है। पत्रावली का परिशीलन करने से प्रकट होता है कि पत्रावली दिनांक–13.05.2025 से साक्ष्य अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. में नियत होकर चल रही है, परन्तु परिवादी द्वारा विगत कई तिथियों से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि परिवादी को कई अवसर प्रदान किया जा चुका है। परिवादी दिनांक–08.07.2025 से लगातार अनुपस्थित चल रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को उक्त परिवाद चलाये जाने में कोई रूचि नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत परिवाद वाद में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त परिवाद वाद धारा–226 बी.एन.एस.एस. के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद संख्या–42/2025, धारा–226 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–20.07.2026

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट,
गोण्डा।

JO Code-UP1751

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.21 10:33:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court